राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक - प.1(39)/RSMSSB/संस्था/MWM/2018/161 दिनांक: 12-02-18

ई–निविदा सूचना

बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए कार्य की दर संविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑन लाईन के माध्यम से निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत विवरण
1	कार्य का विवरण	बोर्ड कार्यालय में दस कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए कार्य की दर संविदा
2	निविदा की अनुमानित लागत	12.00 लाख रूपये
3	बोली प्रतिभूति राशि	24000 रुपये
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	400.00 रुपये
5	RISL प्रोसेसिंग शुल्क	500.00 रुपये प्रबन्ध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना हुआ हो।
6	निविदा आमंत्रितकर्ता	**सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर**
7	निविदा प्रपत्र को अपलोड करने की दिनांक एवं समय	14/02/2018 को प्रातः 9:30 बजे से
8	निविदा प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि व समय	28/02/2018 को दोपहर 03:00 बजे तक
9	निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तिथि व समय	28/02/2018 को सांय 03:00 बजे तक
10	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	28/02/2018 को सांय 04:00 बजे
11	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं को अलग से सूचित कर दिया जावेगा ।
12	अनुबंध की अवधि	एक वर्ष (आदेश दिनांक से)
13	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	नियमानुसार

नोट-

1. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखे जा सकते है।
2. इच्छुक निविदादाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित www.eproc.rajasthan.gov.in के पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है एवं इसी वेबसाईट पर निविदा आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोली प्रतिभूति एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस(E-GRASS) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति,राशी बोली की मूल या बढायी गई विधि मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए।
4. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथी को अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।

सचिव
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक
सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने की निविदा में दरों के अनुमोदन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

<table>
<tr><td>1</td><td>निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग</td><td colspan="4">सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन , जयपुर ,बोर्ड</td></tr>
<tr><td>2</td><td>निविदा अधीन कार्य का विवरण</td><td colspan="4">बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने हेतु।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम</td><td colspan="4">सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्डजयपुर ,</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी व समय</td><td colspan="4">दिनांक 28/02/2018 को सांय 03.00 बजे तक</td></tr>
<tr><td></td><td>तकनीकी निविदा खुलने की तिथी और समय</td><td colspan="4">दिनांक 28/02/2018 को सायं 4.00 बजे उपापन समिति द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के कक्ष में</td></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">निविदादाता का विवरण</td><td colspan="2">नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">टेलीफोन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">मोबाइल फोन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/ पदनाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>निविदा शुल्क राशि 400/-रूपये जमा कराने का विवरण</td><td colspan="4">डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ------
दिनांक ------</td></tr>
<tr><td>8</td><td>निविदा प्रसंस्करण शुल्क राशि 500/-रूपये का जमा करवाये जाने का विवरण</td><td colspan="4">डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ------
दिनांक ------</td></tr>
<tr><td>9</td><td>बोली प्रतिभूति राशि रूपये 24000/- जमा कराने का विवरण</td><td colspan="4">डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ------
दिनांक ------</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">राजकीय विभागों/ संस्थाओं या सार्वजनिक /निजी संस्थाओं में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने का एक वर्ष के अनुभव का विवरण)</td><td>वर्ष</td><td>विभाग नाम</td><td>कार्य की राशि</td><td>अपेक्षित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। (पृष्ठ संख्या)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>दिनांक 30/09/2017 तक का GST चुकता प्रमाण पत्र मय लैजर/चालान स्वयं द्वारा प्रमाणित</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न करे
पृष्ठ सख्या ....</td></tr>
</table>

12	आयकर पैन (PAN) नम्बर पैन कार्ड की छाया प्रति		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या ....
13	जी एस टी पंजीयन प्रमाण-पत्र		प्रमाणपत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या ....
14	फर्म द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वर्ष में बिक्री/टर्नओवर रूपये 10.00 लाख होना आवश्यक है। लेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रति संलग्न करे।	बिक्री/टर्नओवर की राशि रूपये वर्ष 2016-17 रूपये.................	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ सख्या ....

<u>निविदादाता द्वारा घोषणाः-</u>

1. **निविदा द्वि-प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित करते हुये तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करने हैं :-**

    (1) एनेक्चर-ए हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (2) एनेक्चर-बी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (3) एनेक्चर-सी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (4) एनेक्चर-डी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (5) एनेक्चर-ई हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (6) एनेक्चर-एफ हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (7) एनेक्चर-जी हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

    (8) एनेक्चर-एच हस्ताक्षरित पृष्ठ संख्या ....

2. यह कि इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट शर्तें एनेक्चर-एफ मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।

3. यह कि इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा में अनुमोदित दरों के अलावा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

4. उक्त निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड कार्यालय का होगा।

5. निविदा में अनुमोदित दरें कार्य आदेश दिये जाने से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, जिसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एंव 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी।

6. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

7. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवँ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर-ई के अनुसार है।

(ख) दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र एनेक्सर-एच में अंकित की गयी है।

8. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 20 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा उपापन विषय वस्तु की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश् के 50 प्रतिशत उपापन विषय वस्तु की आपूर्ति **<u>10 दिवस</u>** में की जानी होगी।

9. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 में नियम-75 के अनुसार स्वीकार की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड़ सहित)	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक - प.1(39)/RSMSSB/संस्था/MWM/2018/161 दिनांक:12-02-18

ई-निविदा सूचना

बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए कार्य की दर संविदा हेतु मोहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय) ई-निविदा दिनांक 28/02/2018 को सांय 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए	12.00 लाख	24000/-	400/-

निविदा की शर्ते :-

1. बोली प्रतिभूति राशि, RISL, निविदा प्रपत्र शुल्क के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज विभागीय वेब साईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in,** सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग की वेब साईट **www.dipr.rajasthan.gov.in,** राज्य लोक उपापन पोर्टल **(http://sppp.raj.nic.in), www.eproc.rajasthan.gov.in** के पोर्टल से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा प्रथक से डाफट सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। **निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में आनलाईन स्वीकार की जावेगी।**
3. निविदा के साथ दिनांक 30.09.2017 तक GST चुकता प्रमाण पत्र मय लैजर/चालान स्वयं द्वारा प्रमाणित तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन् नम्बर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. निर्धारित तिथी व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. बोर्ड न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड कार्यालय का होगा।
6. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते:-**
   1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।
   2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 400/- ड्राफट।
   3. RISL प्रसंस्करण शुल्क की राशि रू. 500/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड डाफट।
7. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :-**
   1. निविदा के साथ दिनांक 30.09.2017 तक GST चुकता प्रमाण पत्र मय लैजर/चालान स्वयं द्वारा प्रमाणित ।
   2. जी.एस.टी पंजीयन का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित ।
   3. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित ।

4. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबधित सभी परिशिष्ट स्वंय द्वारा प्रमाणित किये हाने चाहियें।

5. फर्म को राजकीय विभागों/संस्थाओं/सार्वजनिक/निजी संस्थाओं में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक हैं तथा अनुभव का प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।

6. गत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में राशी 10.00 लाख का वार्षिक टर्नओवर संबंधी प्रमाण पत्र/लेखे संलग्न करना आवश्यक हैं।

8. **निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।**

9. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी। जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-29 एंव 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।

10.विशेष परिस्थितियों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।

11. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम- 2013 प्रभावशील है। अत: उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें।

12. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

(1.) बोर्ड कार्यालय में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराये जाने की निविदा हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए. निविदा प्रथम भाग में तकनीकी निविदा प्रस्ताव एवं द्वितीय भाग वित्तीय निविदा प्रस्ताव होगें।

(2.) बोलीदाताओं को ई-निविदा प्रक्रिया को समझने के लिए वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से जाने के लिए और कड़ी "ठेकेदार के लिए मदद", "डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के बारे में जानकारी", "पूछे जाने वाले प्रश्न" का उल्लेख है और चाहिए "बोलीदाताओं मैनुअल किट 'और वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया का पता करने के लिए बिन्दु संख्या 8 देखें।

(3.) बोलीदाताओं एक वर्ग 2 या ई निविदा पोर्टल के लिए एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) द्वारा जारी वर्ग 3 श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है.

(4.) पूरा बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://rsmssb.rajasthan.gov.in और http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 400 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा - नकद जमा करवाई जा सकती है या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक जो सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय हो और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क. 500 / - डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर के प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है

(5.) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार / पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए ।

(6.) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी ।

(7.) बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क, और ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक एवं ई-निविदा प्रपत्र (केवल तकनीकी निविदा) की हार्डकॉपी दिनांक 28/02/2018 को सांय 3.00 बजे तक सचिव, **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड**, जयपुर के कक्ष में जमा करवानी होगी।

13. ई-निविदा से संबंधित बिन्दु

(1.) बोलीदाता ई उपापन की वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और ई निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।

(2.) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए बोर्ड आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा ।

(3.) बोलीदाताओं को वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ पर रजिस्टर और ई-टेंडर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । **बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी । ऑफ़लाइन प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा ।**

(4.) वित्तीय बोली के लिए, बोलीदाताओं को बोली के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें जबकि अपलोड/ डाउनलोड BoQ.XLS (माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ़ाइल) में किए गए छेड़छाड़ / परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(5.) बोलीदाता ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैध वर्ग 2 या वर्ग 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की जरूरत है।

(6.) बोलीदाता अपनी बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने आवश्यक है।

(7.) बोर्ड कार्यालय गैर अनुपालन के मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए बोलियों की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(8.) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।

(9.) कोई शुद्धिपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा और इस बोली का एक हिस्सा होगा बोलीदाताओं को बोली से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर दिखना चाहिए।

(10.) बोलियां को ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाता बोर्ड कार्यालय में बोली ऑन लाईन खोलते समय उपस्थित हो सकते हैं।

(11.) बोलीदाताओं को उनकी बोली प्रतिभूति राशि, निविदा दस्तावेज शुल्क और ई टेंडर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना चाहिए।

(12.) तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी बोली में अपलोड और वित्तीय बोली से संबंधित वित्तीय बोली में ही अपलोड करने चाहिए।

(13.) BoQ और वित्तीय बोली को भरने के लिए एनेक्सचर "सी" वित्तीय बोली प्रारूप में दिए गए ई टेंडरिंग पोर्टल में वित्तीय निविदा भरने के लिए निर्देश के लिए देखें।

(14.) बोलीदाता को लिए अधिकतम अनुमेय आकार स्थानीय ग्राहक 2 जीबी या अधिक रैम होना चाहिए कि एक शर्त के साथ 20 एमबी 25 एमबी है. बोलीदाताओं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए न्यूनतम संकल्प में पीडीएफ प्रारूप में दस्तावेज़ को स्कैन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

(15.) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए समय 20 मिनट का होगा।

(16.) निविदा शुल्क, RISL प्रसंस्करण शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के बैकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट एनेक्सर-जे में अलग से प्रस्तुत किये जावेगें।

सचिव
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक
सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion , Bid rigging or anti-

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with ann intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including buy not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy form any of from of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………..for procurement of……………..
In response to their Notice Inviting Bids No……………..Dated……………I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012 that;

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is____________________
The designation and address of the Second Appellate Authority is____________________
(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) Determination
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal
(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

   (i) hear all the parites to appeal present before him; and
   (ii) persue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM NO. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. …………….of………………………..

Before the…………………………………………(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against
And name and designation of the officer/authority
Statement of a decision, action or omission of
The procuring Entity in contravention to the provisions
Of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant Proposes to be representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Ground of appeal:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………

Place………………………………………..
Date……………………………………
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii.if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In cased of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

एनेक्सर-ई

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कंप्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी:-

1. **Machine Specification**

A. **Computer** – Intel core i3/equivalent AMD based Computer or higher speed, Ram 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or higher, 15" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 mbps, LAN Card, CD-DVD Writer, Standard Key Board, Optical Mouse, Standard serial parallel & USB ports, Window 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.

B. **Printer** – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, dotmatrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

C. **U.P.S.** – Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.

2. **Manpower** – The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in windows/Linus environment, good knowledge/practice in Word processor, Spread Sheets and Internet Operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and in English.
3. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।
4. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगा।
5. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकतानुसार कंप्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिंटर में प्रयुक्त होने वाले नए टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
6. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कंप्यूटर बंद नही रखा जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कंप्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपेरटर की गैर हाजिरी के कारण या किसी खराबी के कारण होता है तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपये की कटौती की जाएगी।
7. विशेष परिस्थितियों में सम्बंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकता है जिसके लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुयी अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
8. कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
9. यदि कंप्यूटर सिस्टम सम्बंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। **निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पंद्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।**
10. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
11. कंप्यूटर सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।
12. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य संपन्न किये जाने पर online payment किया जायेगा तथा वसुलियाँ यदि कोई हो तो उन्हें प्रभारित किया जायेगा।
13. GST एवं अन्य समस्त प्रकार के कर बोर्ड कार्यालय द्वारा पृथक से नही दिया जावेगा।

06/02/2018

14. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (सम्बंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान, जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जाएगी।
15. रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा, शनिवार को निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
16. नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी। संस्था को अपने पेन नं./टिन नं. एवं अन्य पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
17. संस्था को पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व संविधान/उधेश्य की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
18. अनुमोदित प्रदायक द्वारा ठेका श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं श्रमिकों से सम्बंधित अन्य अधिनियमों/प्रावधानों की पालना की जावेगी।
19. अनुबंध प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य होने पर इसे RTPP के नियम 29 के अनुसार आगे बढाया जायेगा साथ ही बोर्ड कार्यालय उपरोक्त अनुबंध को उक्त अवधि से पूर्व भी समाप्त कर सकता है।

<u>एनेक्सर-एफ</u>

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने की निविदा हेतु दरें एक वर्ष की अवधि (आदेश दिनांक से एक वर्ष)के लिए अनुमोदन कराने हेतु <u>निविदा की आवश्यक शर्तें</u>

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक फर्म/ संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय- दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में बोली प्रतिभूति राशि 24000.00 (रूपये चौयीस हजार मात्र) का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट "सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर" के नाम।
3 फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष **2016-17** में फर्म की विक्री/टर्नओवर रू. **10.00** लाख होना आवश्यक है । इस हेतु निविदादाता द्वारा लेखे प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
4 जी.एस.टी पंजीयन की प्रति तथा फर्म/संस्थान द्वारा दिनांक 30/09/2017 तक का GST चुकता प्रमाण पत्र मय लैजर/चालान की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी !
5 **निविदाएं ऑन लाईन खोली जावेगी।** इसलिए वित्तीय निविदा को छोडकर शेष सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, डी0डी0/बैंकर चैक एवं अन्य सभी संलग्नक की हार्ड कॉपी ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व दिनांक .... को सायं 3.00 बजे तक विभाग में जमा करवाये जाने होंगे ।
6 यथा निर्धारित दिनांक व समय पर, यथा सूचित स्थान/ कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा और वित्तीय निविदा सुरक्षित रखी जावेंगी । इस हेतु गठित कमेटी/ सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।
7 निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में तकनीकी समिति निविदा दाता के व्यवसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर जा कर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
8 तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण, भौतिक सत्यापन आदि के वाद केवल उन निविदादाताओं की ही निविदा ऑन लाईन वित्तीय निविदा खोली जावेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/ प्रस्तुतिकरण मे सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। **असफल/अनुपयुक्त निविदादाताओं की ऑन लाईन वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेंगी।**
9 निविदा में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त निविदादाता की स्वीकार नहीं होगी तथा वोर्ड कार्यालय को किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) विना किसी कारण वताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. वास्तविक निर्माताओं द्वारा निविदाएँ :- निविदाएँ मालों के वास्तविक निर्माताओं द्वारा ही दी जायेगी। अत: ये एस आर प्ररूप-11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

(1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्वन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तव तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जव तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए वाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्वन्ध में लिखित इककार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीक़ृति के लिए ठेकेदार की रसीद या वाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सव को वाध्य करेगी।

11. <u>जी एस टी पंजीयन एवं GST चुकती प्रमाण पत्र:-</u> कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। जी एस टी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा दिनांक 30.09.2017 तक का GST चुकता प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाएगा ।
12. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/ जी एस टी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अत: इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुन: विक्री करने के लिए या विक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
13 दरों की तुलना :- राजस्थान के वाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में राजस्थान विक्री कर राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जवकि केन्द्रीय व्रिकी कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

14 मूल्य अधिमान :- (मूल्य अधिमान/ अधिमान, राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के वाहर के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय राजस्थान के उद्योगो को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।

15 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के वारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

16 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाड (सब लैट) पर नहीं देगा।

17 विनिर्देश :- (1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी जहां पर वस्तुओं की आई एस आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/ क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओ का प्रदाय, अन्य वातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामाग्रियों के मामलों में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित दरे न हो, वहां अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस सम्वन्ध में की क्या प्रदाय की गयी वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिए वाध्यकारी होगा।

(3) वारंटी/गांरटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुऍं खरीदे जाने वाले उक्त माल/ सामान/ वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .... दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समापत हो गए है (तथा उस सम्वन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऍं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने कसे सम्वन्धित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, वदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसके दी गई शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी वात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्वन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पूर्जो। यदि कोई हो, को वदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी वदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(5) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निवंधनों और शर्तो पर जो उनके वीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख-रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पयेर पार्टस खरीद सकेगा।

18. निरीक्षण:- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके वाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/ उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

20. (i) सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए.......... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 20 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि 20 दिवस

(ii) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शतो पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी :-

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

21. बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-42 के तहत बोली प्रतिभूति राशि निम्नानुसार देय होगी-

(क) निविदा के साथ की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए:-

(i) बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी ।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक डाफट/बैंकर्स चैक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:- असफल निविदादाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग)(बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मो को जो निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप मे रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के **0.5 प्रतिशत** दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्टीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद् की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्याल्य के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

22. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहत कर लिया जाएगा:-

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

23. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित कराना होगा ।

(ii) निविदा के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन किया गया।

(ख्) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प् लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) नि:शुल्क दी जाएगी।

24. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:- (इस संवंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागु होगी।

(1)	(क)	विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख्)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ्)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड् दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो, वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के वाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

(6). वसूलियॉ :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से विल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं वदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

25. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

26. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र मे विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

27. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने बिना कोई कारण वतलाये किसी भी निविदा को रदद. करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

28. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :-

(i)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व् के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(i) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्टार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

29. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न् होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारियों की नियुक्ती करेगा। ये उस अधिकारी इस संविदा से सवद नहीं होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

30. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार(सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

31. **उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉं आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान लागू होगें।**

निविदा दाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिती में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नं. मोबाईल नं.	

एनेक्सर-जी

सचिव,
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

विषय :- निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

ई-निविदा सूचना के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने के लिए दरों के अनुमोदन हेतु अपने अनुबंध (एस) के साथ इस टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, दरों का वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया है, जबकि

1. निम्नलिखित दस्तावेज जमा फीस आदि जमा कराये जाने के सबूत के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे है

क्र0सं0	विवरण्	नम्बर	दिनांक	बैंक
1.	निविदा शुल्क: रु. 400 / - नकद, डीडी / बैंकर चैक (सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से बना हो और जयपुर में देय हो)			
2.	RISL प्रसंस्करण शुल्क: रु. 500/- नकद, डीडी /बैंकर्स चैक (प्रबन्ध निदेशक RISL, के नाम से बना हो जो जयपुर में देय हो)			
3.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 24,000 / - नकद, डीडी / बैंकर्स चैक (सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से बना हो, और जयपुर में देय हो)			

2. अनुबंध की अवधि के प्रभावी होने की तिथि से एक साल के लिए किया जाएगा.
3. मैं/हम तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभाग द्वारा जिस भी प्रक्रिया से किया जावेगा उसके लिए बाध्य होगें।
4. इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं/हम एतद्द्वारा (एनेक्चर-ए से आई तक) के साथ ही विधिवत मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों का पालन करने पर सहमत हैं. मैं/हम मेरे/हमारी ओर से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगा रहे हैं.
5. मेरे द्वारा सल्गन सभी दस्तावेज सही/सत्य है असत्य पाये जानें पर विभाग कानूनी कार्यवाही करनें के लिये स्वतंत्र है ।
6. हमारे बारे में अन्य आवश्यक विवरण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
स्थिति / हस्ताक्षरकर्ता के पोस्ट	
फर्म / एजेंसी का नाम	
दिनांक	

एनेक्सर-एच

'Financial Tender Form'

Tender Document for

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने जाने बावत निविदा।

Tender Inviting Authority: SECRETARY, Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board, Jaipur, Rajasthan

Name of Work : राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) उपलब्ध कराने जाने बावत निविदा।

Bidder Name :

SCHEDULE OF WORKS

S.No.	Name of Item	Specification	Price per Unit per month	GST	Total Amount
1	**10 कंप्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन)**	मय संलग्न स्पेसिफिकेशन व योग्यता एनेक्चर-ई के अनुसार			

1. निविदादाता के हस्ताक्षर

2.निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान) (घर)

जयपुर

दिनांक